रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 2737] | नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939 |
| No. 2737] | NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939 |


## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व विभाग)

### (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

**(आयकर)**

**का.आ. 3129(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (39) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन, व्यक्ति तथा विनिर्दिष्ट आय के रूप में अधिसूचित करती है यथा:—

(क) फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबाल एसोसिएशन अंडर-17 फुटबाल विश्वकप को एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के रूप में;

(ख) फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन को व्यक्ति के रूप में;

(ग) फेडरेशन इंटरनेशनेल दी फुटबाल एसोसिएशन अंडर-17 फुटबाल विश्वकप 2017, भारत के आयोजन से फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन के लिए होने वाली निश्चित आय के रूप में निम्नलिखित आय:-

(i) राष्ट्रीय समर्थकों जैसे कि हीरो मोटरकॉर्प लि०, बैंक आफ बड़ौदा तथा कॉल इंडिया लि० की प्राप्तियों से होने वाली आय उन्नतीस करोड़, नवासी लाख, बावन हजार, दौ सौ पचास रुपए (29,89,52,250 रुपए) मात्र है; और

(ii) टिकट की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय छ: करोड़, इक्कयासी लाख, पन्द्रह हजार, एक सौ अड़तालीस रुपए (6,81,15,148 रुपए) मात्र है ।

[अधिसूचना सं. 85/2017/फा. सं. 200/24/2017-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक (आईटीए-I)